न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 50 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : **2024 / 199**

1. मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

1. तहसीलदार श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक सूकाअ / 2024 / 951 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक को वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 853–854 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्रांक / 853–854 दिनांक 18.11.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को प्रतिउत्तर प्रेषित कर सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज०)